


ग्रामसभा में पीकेबी कोल माइंस को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध



यार्ड में खड़ी ट्रक लूटकर ले गए, डकैती का अपराध दर्ज

— संवाददाता —
अम्बिकापुर, 19 जून 2024 (घटती-घटना)।
अम्बिकापुर पथलगांव शहर में पालीडीह स्थित यार्ड में खड़ी ट्रक को लूटकर ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक सहित 03 अन्य के खिलाफ धारा 34, 392, 427, 457 का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी अनुसार रविवार 16 जून की देर रात पथलगांव में पालीडीह स्थित यार्ड का दीवार फांकर 4-5 घुस गये और वहां खड़ी ट्रक क्रमांक सीजी 15 डीजी 6331 को स्टार्ट कर ले जाने लगे। वाहन स्टार्ट होने की आवाज सुनकर सिक्खरूटी गार्ड विजय यादव बाहर निकला तो लुटेरों ने स्टार्ट ट्रक से सिक्खरूटी गार्ड को कुचलने का प्रयास किया। जिसके बाद सिक्खरूटी गार्ड किनारे हो गया तो लुटेरे यार्ड का दीवार और गेट को तोड़ते हुवे ट्रक को लेकर फरार हो गये। इस मामले में यार्ड संचालक की शिकायत पर पथलगांव पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।

बता दें की उक्त ट्रक का मालिक आकाश जायसवाल पिता भोला प्रसाद जायसवाल निवासी अम्बिकापुर है। जिसका चोला मण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी में 10 किस्त टूटा हुआ था। जिसे फाइनेंस कंपनी के विधिक प्रोसेस के तहत सीज कर यार्ड में खड़ी कराया था। यार्ड संचालक सुनील गुप्ता ने पथलगांव पुलिस को दिए शिकायत में बताया गया है कि उसकी चोला मण्डलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कंपनी पथलगांव ब्रांच से पार्किंग यार्ड के लिए पालीडीह स्थित भूमि का अनुबंध है। 15 जून की शाम 4 बजे लगभग चोला मण्डलम के सिजर द्वारा एक वाहन टाटा एलपीटी 3718 जिसका पंजीयन क्रमांक सीजी 15 डीजी 6331 पार्किंग यार्ड में लाया गया था। उक्त सीज वाहन को ड्राइवर को बस स्टैंड पथलगांव नवीन बस आफिस के पास छोड़ा गया था। यार्ड संचालक ने वाहन स्वामी व ड्राइवर के उपर दण्डात्मक कार्यवाही कर उन्हें वाहन सुपुर्द करने की मांग की है। इस संबंध में पुलिस ने बताया की जांच जारी है। जल्द ही ट्रक समेत आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।



- » ग्रामीणों ने एसडीएम का किया घेराव...
- » पिकेबी कोल माइंस को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ग्राम सभा आयोजित...
- » विरोध के बीच पिकेबी कोल माइंस के लिए प्रस्ताव हुआ पास...

— मनोज कुमार —
लखनपुर, 19 जून 2024 (घटती-घटना)।
सरगुजा जिले के घाटबरा गांव में परसा ईस्ट केत बासेन कोल माइंस परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास व व्यवस्थापन को लेकर घाटबरा पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें अधिकतर लोगों ने पुनर्वास नीति का विरोध किया वहीं कई

लोगों ने समर्थन दिया। ग्राम सभा के दौरान गांव वालों ने अपने-अपने विचार रखे और अधिकतर लोगों का यही कहना था कि गांव में कोल माइंस नहीं खोलना चाहिए गांव वालों ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा में कोल माइंस परियोजना के पक्ष में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। जबकि उन्होंने 2022 में कोल माइंस का विरोध किया था बता दें कि आमतौर पर ग्राम सभा के आयोजनों में पाईट सरपंच सचिव और गांव के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन इस ग्राम सभा में जिला प्रशासन के अधिकारी अपर कलेक्टर, एसडीएम, एडिशनल एसपी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों ने कोल माइंस का विरोध करते हुए एसडीएम का घेराव किया। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद

पीसीबी कोल माइंस के लिए प्रस्ताव पास हुआ। हसदेव इलाके में कोल माइंस का लंबे समय से विरोध चल रहा है। इस बीच घाटबरा गांव में परसा ईस्ट केत बासेन कोल माइंस के फेस टू के विस्तार के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीणों को कोल माइंस खोलने पर विस्थापन की जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई। जिनका मौजूद ग्रामीणों ने विरोध किया तो

बाद उन्हें जल संकट सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विरोध करने वाले ग्रामीणों ने ग्राम सभा संपन्न होते ही मौके पर मौजूद एसडीएम को घेर लिया और इसके बाद नारेबाजी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। साथ ही सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए थे, हालांकि इस गांव में जैसा माहौल है उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोल माइंस को लेकर

विरोध के स्वर तेज हो सकते हैं तो कोल माइंस शुरू करने में फिर से प्रशासन को पुलिस का सहारा लेना पड़ सकता है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आर्बिट्रट है परसा ईस्ट एवं केत बासेन कोल परियोजना हसदेव क्षेत्र में खदान खोलने का सिलसिला साल 2010 में शुरू हुआ था दो वर्षों से ग्रामीण कोल माइंस का विरोध कर रहे हैं। कोल माइंस खुलने से घाटबरा के 500 परिवार विस्थापित होंगे। अब तक घाटबरा गांव के 32 लोगों को ही मुआवाजा दिया गया है। अदानी के पीसीबी कोल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसडीएम को प्र भेज ग्राम सभा को स्थगित करने की मांग की गई थी। जिला प्रशासन की निगरानी में ग्राम घाट बरना में ग्राम सभा का आयोजन किया गया ग्रामीणों के विरोध के बाद भी पीकेबी कोल माइंस का ग्रामसभा में प्रस्ताव पास किया गया। बाहरहाल अब देखा जा रहा कि कोल माइंस परियोजना के पक्ष में ग्राम सभा में अफसरों ने मौजूद रहकर प्रस्ताव पास करा दिया है। और दूसरी तरफ विरोध जारी है तो आने वाले दिनों में आंदोलनकारी कौन सा कदम उठाते हैं।

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्थान वि आर खांडे ने बताया कि पीकेबी कोल माइंस को लेकर ग्राम सभा में अधिकतर लोग पक्ष में हैं और कुछ लोग इसे लेकर विरोध कर रहे हैं।
वी. आर. खांडे एसडीएम



आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के सामने धरने पर बैठे तिब्बती शरणार्थी

— संवाददाता —
अम्बिकापुर, 19 जून 2024 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले के मैनपाट में आज बुधवार सुबह दर्जनों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी थाना पहुंच धरने पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों तिब्बती युवक के साथ स्थानीय युवक ने की मारपीट की थी, रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। जिसके विरोध में आज सभी तिब्बती एक साथ कमलेश्वरपुर थाना पहुंचे। आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सभी धरने पर बैठ गए हैं।
बता दें तिब्बती फुरफू दोरजी के साथ पिछले दिनों जमीन विवाद पर स्थानीय युवक संतोष यादव ने मारपीट की थी। एफआईआर के बाद भी आरोपी युवक अब तक फरार है। इधर पुलिस का कहना है कि वो आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है।

नारी निकेतन के माध्यम से हुई घर वापसी

— संवाददाता —
अम्बिकापुर, 19 जून 2024 (घटती-घटना)। महिला बाल विकास विभाग सरगुजा के द्वारा संचालित नारी निकेतन अम्बिकापुर में विगत चार वर्षों से निवासरत महिला सुमेलिया को ग्राम भण्डारदेई, खड़वां जिला-एमसीबी में पुनर्वास किया गया। उक्त महिला मानसिक रूप से बीमार होने के कारण घर से बिना किसी को बताए 6 वर्ष पूर्व निकल गई थी, जिन्हें उज्ज्वला गृह जिला कोरिया द्वारा 2021 में नारी निकेतन लाया गया। संस्था द्वारा उक्त महिला



के राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी से 1 वर्ष उपचार कराया गया, उपचार उपरान्त वह अपना प्रकार नारी निकेतन के माध्यम से सुमेलिया को फिर से उसका घर मिल पाया।

3000 नग अवैध प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन की तस्करी के मामले में शामिल सह आरोपी प्रतिबंधित इंजेक्शन सप्लायकर्ता 01 अंतर्राज्जीय आरोपी को किया गया गिरफ्तार

- » आरोपी द्वारा मेडिकल दुकान के आड़ में अवैध लाभ अर्जन हेतु पूर्व में गिरफ्तार आरोपी को वाणिज्यिक मात्रा में नार्कोटिक्स युक्त इंजेक्शन सप्लाय कर तस्करी में रहता था शामिल...
- » मामले में आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर की जा रही सख्त वैधानिक कार्यवाही...
- » आरोपी पूर्व में भी 1750 नग नशीले इंजेक्शन एवं 160 नग कफ सिर्फ की तस्करी के मामले में माल सप्लाय करने पर थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा भेजा गया था जेल...
- » अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सरगुजा पुलिस का अभियान ऑपरेशन विश्वास आगे भी निरंतर रहेगा जारी...

अधीक्षक श्री रोहित शाह के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने सहित संदेहियों/आरोपियों पर लगातार सख्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में दिनांक 17/06/24 को थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा चरितमा रोड में वाहनों की सघन जांच के दौरान लटोरी तरफ से आ रही सफेद रंग की ऑल्टो कार क्रमांक जेएच/01/डीसी/3645 का चालक पंकज धर दुबे दाबे आत्मज विनोद धर दुबे उम्र 28 वर्ष साकिन अचला नवाडीह थाना गढ़वा झारखण्ड के कब्जे से अलग अलग कार्टून में कुल 3000 नग अवैध प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन कुल मात्रा 18000 मिली लीटर कुल किमती लगभग 10 लाख रुपये आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया था।



मामले में पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार आरोपी पंकजधर दुबे से जप्त प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ एवं माल सप्लायकर्ता के बारे में

पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष आरोपी का भाई नवलेशधर दुबे थाना गांधीनगर से नशीले इंजेक्शन के परिवहन के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था जो उक्त प्रकरण में माल सप्लायकर्ता / सह आरोपी संतोष कुमार ज्योति मेडिकल दुकान संचालक चंचला लातेहार झारखण्ड से उसका परिचय उक्त प्रकरण में अम्बिकापुर आने जाने के दौरान हुआ जिसके बाद वह अम्बिकापुर में नशीले इंजेक्शन की बिक्री हेतु सह आरोपी माल सप्लायकर्ता संतोष कुमार के खाता में अपने खाता से रुपये ट्रांसफर कर नशीले इंजेक्शन को अम्बिकापुर लाकर खपाता था, आरोपी पंकजधर दुबे के मोबाइल का अवलोकन करने पर उसके मोबाइल में आरोपी संतोष कुमार से नशे के इंजेक्शन के संबंध में

व्हॉट्सएप पर बातचीत होने संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुये तथा आरोपी पंकजधर दुबे के खाता से लाखों रुपये आरोपी संतोष कुमार के खाता में ट्रांसफर होना पाया गया, प्रकरण सदर् में शामिल आरोपी संतोष कुमार पूर्व में थाना गांधीनगर के अपराध क्रमांक 01/2023 धारा 22 सी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था जो वर्तमान में जमानत पर था, जमानत परचात पुनःआरोपी द्वारा नशीले इंजेक्शन को मेडिकल दुकान की बिक्री हेतु सह आरोपी माल सप्लायकर्ता संतोष कुमार के खाता में अपने खाता से रुपये ट्रांसफर कर नशीले इंजेक्शन को अम्बिकापुर लाकर खपाता था, आरोपी पंकजधर दुबे के मोबाइल का अवलोकन करने पर उसके मोबाइल में आरोपी संतोष कुमार से नशे के इंजेक्शन के संबंध में

रजदेवरा डाल्टेनगंज जिला पलामु झारखण्ड का होना बताया आरोपी को मेडिकल दुकान ज्योति मेडिकल हाल के खाता में ट्रांसफर होना पाया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर मेडिकल दुकान की आड़ में नशीला इंजेक्शन सप्लाय कर तस्करी में शामिल होकर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 364/24 धारा 22 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, आरक्षक अतुल सिंह, मनोष सिंह, उमाशंकर साहू, ऋषभ सिंह शामिल रहे।

